न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—371/2019/225 (2019/00371)

1. अम्बिका कंवर उर्फ देव कंवर पत्नि देवेन्द्रसिंह जाति राजपूत, निवासी नासून, तहसील मसूदा जिला अजमेर हाल निवासी पडासौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. देवराम पुत्र भवानीसिंह, जाति राजपूत, निवासी पडासौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. शिल्पी कंवर उर्फ उमा कंवर बेवा दुर्गासिंह, जाति राजपूत, निवासी पडासोली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. उप तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।
4. बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा दूदू, जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 2.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 228/2005.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री लोकेन्द्रसिंह एवं गजेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 व 4 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 व 5.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 5.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 2.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक राजस्व वाद अधी0न्याया0 के न्यायालय में अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांटस पेश किया साथ में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि ग्राम पडासोली, तहसील दूदू में अवस्थित खाता संख्या 230 की आराजी खसरा संख्या 396, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 436 कुल किता 11 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, खाता संख्या 804 की आराजी संख्या 188, 189, 190, 213, 214, 215, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 1334, 1345, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1946, 1911, 1912 कुल किता 25 कुल रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा भूमि व खाता संख्या 305 की आराजी खसरा संख्या 236, 1910, 1960 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि बाबत् स्वंय को स्व0 दुर्गासिंह का दत्तक पुत्र दर्शाते हुए खाता संख्या 230 में आराजी में स्वंय का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4

हिस्सा, खाता संख्या 304 व 305 में स्वंय का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्शाते हुए कथन किया कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 तथा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 मा–पुत्र है जिनकी विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है । प्रतिवादी/अपीलांट वादी की बहिन है । शंकरसिंह के दुर्गासिंह व गोपालसिंह पुत्र हुए व अम्बिका कंवर पुत्री हुई । गोपालसिंह बाल्याकाल में ही अविवाहित फौत हो गया था । दुर्गासिंह के भी कोई जायंदा संतान नहीं थी इसलिये दुर्गासिंह ने अपनी पत्नी की सहमति से सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष संवत् 2047 देवउठनी एकादशी को वादी को गोद ले लिया । उस समय देवराज की उम्र 10 वर्ष थी । देवराजसिंह का पालना, पोषण शिक्षा दीक्षा भी मृतक दुर्गासिंह ने की थी । दुर्गासिंह के मरने पर उसके समस्त संस्कार आदि वादी ने ही किये । वादी व उसके असल पिता एवं दुर्गासिंह की पत्नी रेस्पो0 संख्या 2 संयुक्त रूप से रहते है । कोई मतभेद नहीं होने के कारण स्कूल आदि के रिकार्ड में वादी के पिता का नाम भवानीसिंह ही अंकित है। विवादित भूमि पर वादी का अपनी मॉ के साथ 1/2 हिस्से पर कब्जा है तथा 1/2 हिस्से पर अपीलांट काबिज है । किन्तु कुछ समय से रेस्पो0 संख्या 2 गलत व्यक्तियों के बहकावे में है उसने अपीलांट के पक्ष में हकत्यागपत्र सम्पादित करवा दिया । प्रतिवादीगण उनके पक्ष में हुए गलत इंद्राज की आड़ में वादी को उसके जायज हक व अधिकारों से वंचित करने पर उतारू है जबकि वादी स्व0 दुर्गासिंह का गोदपुत्र होने से विवादित भूमि में हक व अधिकार रखता है । प्रतिवादीगण विवादित भूमि से वादी के हकों से इंकार कर रहे है तथा भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे तथा विवादित भूमि को किसी प्रकार से रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 2.7.2016 द्वारा प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर उभयपक्ष को विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने तथा रेस्पो0 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र को निस्तारण करने में धारा 212 के तीन मुख्य घटक प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपार क्षति के सिद्धांत को नजरअंदाज कर क्षैत्राधिकार से परे जाकर लोक अदालत में सरसरी तौर पर निर्णित कर अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है । अधी0न्याया0 का आदेश अस्पष्ट एवं कारणरहित है । अधी0न्याया0 ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 ने अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया था । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत था किन्तु दिनांक 2.7.2016 को अधी0न्याया0 ने प्रकरण को न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प कोर्ट में नियत करते हुए बिना अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व उनके अधिवक्ता को सूचित किये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

लिया जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने स्वंय को खातेदार दुर्गासिंह का दत्तक पुत्र होना दर्शाते हुए विवादित भूमि में अपने हक व अधिकार होना बताकर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध वाद पेश किया था । अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 स्व0 दुर्गासिंह की बहन व बेवा है । रेस्पो0 संख्या 1 ने कभी भी दुर्गासिंह अथवा रेस्पो0 संख्या 2 ने गोद नहीं लिया था । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किये थे ना ही कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य ही पेश किये है । अधी0नया0 ने कब्जे रहित व्यक्ति के पक्ष में प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार नहीं है ना ही काबिज है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा उभयपक्ष को एकदूसरे के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी व उसके अभिभाषक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में प्रकरण को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट में नियत कर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 2.7.2016 को किया है जिसकी जानकारी प्रार्थिया व उसके अधिवक्ता को पूर्व में नहीं हो पायी थी । हाल ही में दिनाक 20.9.2016 को उसके अधिवक्ता ने अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली का अवलोकन किया तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण का निस्तारण हो चुका है तब उन्होंने प्रार्थिया को अवगत कराया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 22.9.2016 को नकल प्राप्त होने पर रूपये पैसे की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाकिव है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 स्वंय को दुर्गासिंह का दत्तक पुत्र बताते हुए पेश किया कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार विवादित आराजियात में दत्तक पुत्र होने से प्रार्थी का हक व हिस्सा निहित है । अप्रार्थीगण/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कर कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 दुर्गासिंह का दत्तक पुत्र नहीं होकर भवानीसिंह का पुत्र है जिसे दुर्गासिंह ने कभी भी गोद नहीं लिया था । इस कारण प्रार्थी का विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 2.7.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 दुर्गासिंह का दत्तक पुत्र है अथवा नहीं, इन सब तथ्यों का निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा । वाद के विचाराधीन रहते यदि विवादित आराजियात का अन्यंत्र हस्तातंरण, बेचान इत्यादि किया जाता है तो पक्षकारान के मध्य ओर अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी जिसकी रोक हेतु वाद निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात की

सुरक्षा हेतु अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.7.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर.

8. निर्णय आज दिनांक 5.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर